

207/25

राजस्थान-सरकार  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नादौती जिला करौली

दिनांक -

क्रमांक -

ग्रामीण सेवा शिष्टिर

2085/281

कैम्प काट 21सी

अन्तर्गत राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136

अन्तर्गत राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136

निर्णय दिनांक:- 27.10.25

पटवारी हल्का 21सी, भू अभिलेख निरीक्षक 21सी की रिपोर्ट एवं तहसीलदार नादौती की अभिशंषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत राजस्व ग्राम 21सी के खाता संख्या 75 में निम्नानुसार शुद्ध किंगे जाने की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र.सं.	राजस्व ग्राम का नाम	खाता संख्या	खसरा नम्बर	अशुद्ध प्रविष्टि	शुद्धि उपरान्त प्रविष्टि	वि. विवरण
01.	21सी	75		21सी	21सी	
02.						
03.						
04.						

उपखण्ड अधिकारी  
नादौती 21सी  
कैम्प कोर्ट 21सी  
दिनांक:-

क्रमांक:-

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

01. तहसीलदार नादौती को निर्देशित किया जाता है कि उपरान्तुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद कर पालना रिपोर्ट भिजवावे।
02. पटवारी, पटवार हल्का 21सी।
03. प्रार्थी.....।

उपखण्ड अधिकारी  
नादौती

